संख्या 171 /बीस–8/2018–4(8)2017

प्रेषक

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

पुलिस महानिदेशक
उत्तराखण्ड,
देहरादून,

गृह अनुभाग–8

देहरादून : दिनांक 14 मार्च, 2018

विषय– 40वीं वाहिनी पी0ए0सी हरिद्वार में टाईप–द्वितीय के 48, टाईप तृतीय के 08 तथा टाईप चतुर्थ के 01 आवासीय भवनों के निर्माण की पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या डीजी–छः–857/2017 दिनांक 08.02.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 40वीं वाहिनी पी0ए0सी हरिद्वार में टाईप–द्वितीय के 48 टाईप तृतीय के 08 तथा टाईप चतुर्थ के 01 आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु एसडीआरएफ के मानक मद 24–वृहत निर्माण में अवशेष धनराशि (बचतों) से चालू कार्य मद में पुनर्विनियोग का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– शासनादेश संख्या 162/XX-1/93–निर्माण/आयोजनागत/2008–2009 दिनांक 02.03.2009 द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 में उक्त निर्माण कार्य हेतु रूपये 232.78 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रूपये 100 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी। पुनः उक्त कार्य हेतु शासनादेश संख्या 421/XX-1/2014–4(49)2008 दिनांक 13.02.2014 द्वारा 64.48 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी। इस क्रम में 40वीं वाहिनी पी0ए0सी0 हरिद्वार में टाईप–द्वितीय के 48, टाईप तृतीय के 08 तथा टाईप चतुर्थ के 01 आवासीय भवनों के अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन रूपये 837.63 लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त एवं वित्त व्यय समिति द्वारा संस्तुत लागत रूपये 674.21 लाख (रूपये छः करोड़ चौहत्तर लाख इक्कीस हजार मात्र) (सिविल कार्य हेतु रूपये 528.21 लाख तथा अधिप्राप्ति कार्यों हेतु 146.00 लाख) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–10 लेखाशीर्षक 4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 211–पुलिस आवास 03–पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण(चालू कार्य) के मानक मद 24–वृहत निर्माण में संलग्न बी.एम.–9 (भाग एक) प्रपत्रों के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से **रूपये 289.62 लाख (रूपये दो करोड़ नवासी लाख बासठ हजार मात्र)** की धनराशि की व्यवस्था करते हुए उक्त धनराशि व्यय हेतु निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(i)– कार्य का Detail, Design & Drawing अवश्य तैयार कर लिया जाय एवं डिजाइन को VET अवश्य करा लिया जाय।

(ii)– कार्य निधारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। इस आगणन के पश्चात कोई भी आगणन पुनरीक्षित नही किया जायेगा।

(iii)– Rain Water Harvesting का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

(iv)– निर्माण सामग्री यथा Bricks, cement, steel एवं अन्य का Frequency के अनुरूप N.A.B. Laboratory से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय।

(v)– Electrical Items जैसे Switches, wires, MCB, MCCB, AC आदि Plumbing Items जैसे Bath fittings, Geyser, tank, pipes आदि Toilet items, wood Items आदि की Market survey कर डी0एस0आर0 दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रशासकीय विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पूर्व में ही कम से कम 3 निर्माता या उनके

Authorised Distributor के Quotations प्राप्त कर Brand name निर्धारित कर लिया जाय।

(vi)— आगणन में कार्यदायी संस्था द्वारा डी0एस0आर0 की दरें ली गयी हैं एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित हैं। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समायोजन करेंगें जो अपरिहार्य मदें हैं, उदाहरणार्थ—वाटरफ्रूफिंग की मदें अलग से आगणन में ली गयी हैं। यह सही है कि यह मद डी0एस0आर0 में हैं, लेकिन स्थल की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा यह अपरिहार्य नहीं है कि उनका प्रयोग भी आवश्यक होगा। अतः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते समय तकनीकी स्वीकृतकर्ता अधिकारी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व उन मदों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय।

(vii)—वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 में वर्णित व्यवस्था/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, ताकि लागत एवं समयवृद्धि (Cost and time over run) से बचा जा सके।

(viii)—कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर M.O.U. हस्ताक्षर कर प्रति शासन में उपलब्ध करायी जाय।

(ix)— एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

3— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—2047/XIV—219(2006) दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

4— आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5— निर्माण कार्य तथा इस हेतु सामग्री क्रय में Uttarakhand Procurement Rules, 2017 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6— निर्माण कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य में शीघ्रता लायी जाय तथा विलम्ब के कारण किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षित नही किया जायेगा।

7— स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत् रखते हुये किया जाय तथा व्यय उन्हीं मदों में किया जाय जिस मद के लिये स्वीकृति प्रदान की गयी है।

8— निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण संस्था उत्तरदायी होगी। कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल एवं तद्विषयक समय—समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017—18 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—10, के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक 4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, के अन्तर्गत संलग्न बी.एम. प्रपत्र—09(भाग—एक) के कॉलम—01 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत कॉलम—4 में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा तथा कॉलम—05 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के सुसंगत मानक मद अर्थात 211—पुलिस आवास, 03—पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण(चालू कार्य) हेतु व्यवस्था के मानक मद 24—वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

10— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 311/मतदेय/XXVII(5)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति तथा अलॉटमेंट आई.डी. संख्याः S1803/0026) दिनांक 14 मार्च, 2018 द्वारा जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या 171 /बीस—8/2018—4(8)2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तदनुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।

2— निदेशक, कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।

3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
4– बजट अधिकारी, बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग हरिद्वार इकाई।
7– वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग–5 उत्तराखण्ड शासन।
8– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव